रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1249/2026/423/22-2-2026-17(261)/2026
लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती बड़का देवी (बन्दी संख्या-148/2025) पत्नी श्री राम सागर पाल, इन्दौली, थाना-छावनी, जनपद-बस्ती की निवासिनी है, महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2194/2020 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302, 323, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एम पी./एम.एल.ए)/ गैंगस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति न्यायालय-प्रथम, बस्ती के दण्डादेश दिनांक 13.06.2025 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है, महिला बंदी द्वारा दिनांक 05.09.2025 तक अपरिहार 08 माह 08 दिन तथा सपरिहार 08 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1249/2026/423(1)/22-2-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।
3- पुलिस अधीक्षक बस्ती।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।